संख्या-8/2020-184/58-2020-95/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 27 फरवरी, 2020**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद संतकबीर नगर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-80/बजट/2019-20, दिनांक 07.01.2020 एवं पत्र सं0-89/बजट/2019-20, दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीर नगर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना के संबंध में सिविल निर्माणप कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, बस्ती द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन की धनराशि रू0-90.00 लाख तथा अन्य तकनीकी कार्य हेतु जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आगणन की धनराशि रू0-60.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2- उक्त के साथ मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद संतकबीर नगर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु पूंजीगत मद में रू0-90.20 लाख एवं राजस्व मद में रू0-6.81 लाख, इस प्रकार कुल रू097.01 लाख (रूपये सत्तानबे लाख एक हजार) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	*2*	*3*	*5*	*6*
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112- सार्वजनिक उद्यान- 04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क				
02-मजदूरी	50.00	37.54	12.46	--
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.30	0.20	0.20
42- अन्य व्यय	45.00	13.96	31.04	5.24
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00	18.90	16.10	1.37
योग-	**130.50**	**70.70**	**59.80**	**6.81**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				

http://shasanadesh.up.gov.in

112- सार्वजनिक उद्यान- 03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क				
24-वृहद निर्माण कार्य	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**90.00**
26-मशीन और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	**0.20**	**0.00**	**0.20**	**0.20**
योग	**90.20**	**0.00**	**90.20**	**90.20**
कुल योग	**220.70**	**70.70**	**150.00**	**97.01**

(रूपये सत्तानबे लाख एक हजार मात्र)

(1) प्रस्तावित निर्माण कार्य आगणन में उल्लिखित विवरण के अनुसार ही कराया जायेगा। विसंगति की स्थिति में निदेशक उद्यान, वित्त नियंत्रक उद्यान निदेशालय, जिला उद्यान अधिकारी, संतकबीर नगर एवं नामित कार्यदायी संस्था सीधे उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) निर्माण कार्यों एवं क्रय की जाने वाली सामग्री के संबंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक उद्यान का होगा।

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति एवं आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय किये जाने का दायित्व निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक उद्यान का होगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं/2019/1-0बी -2019-दस/170-1-2018/231, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(11) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(14) निर्धारित शर्तों में विचलन के लिए निदेशक उद्यान/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं जिला उद्यान अधिकारी संतकबीरनगर सीधे उत्तरदायी होंगे।

(15) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(16) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2406-02-112-04 लोहिया पर्यावरणीय पार्क एवं उद्यान तथा 4406-02-112-03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-8/2020-184(1)/58-2020, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
(5) कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
(6) उप निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती।
(7) जिला उद्यान अधिकारी, संतकबीर नगर।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 बस्ती।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in